

# न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

मुकदमा नंबर 146/2016

राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का चेकला

बनाम  
गैरसायल  
श्री अनोपसिंह, गोपालसिंह, महेन्द्रसिंह, जितेन्द्रसिंह  
पुत्र श्री नरपतसिंह जाति राजपुत नि.चेकला

निर्णय दिनांक:-10.02.2017

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल महाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चेकला व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत् 2073 में मौजा चेकला के खसरा नंबर 574,572,575,292 रकबा 2.13 हेक्टर किस्म गै.मु में अनाधिकृत रूप से बाडाबनाकर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाब में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, नहीं पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत संवत् 2073 में मौजा चेकला के खसरा, नंबर 574,572,575,292 रकबा 2.13 हेक्टर किस्म बा.प्र अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 12.18 का 50 गुणा रू0 609/- अक्षरे छः सौ नौ रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा, पटवारी हल्का चेकला को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार, जसवंतपुरा